Dr. S.K. Singh
Mob-9431449951

PHILOSOPHY

Hons., Paper III (Part II)

External Laws as the standard of Morality
(बाह्य नियमवाद या वैधानिक मत)

→ बाह्य नियमवाद के अनुसार बहिर्गत नियम अथवा किसी बाह्य सत्ता द्वारा निर्धारित नियम ही नैतिकता का चरम मापदंड है।

→ वैसे आदेश या आदेशों की व्यवस्था, जो हम पर किसी बाह्य सत्ता की (ईश्वर, समाज या राज्य की) इच्छा या आज्ञाओं द्वारा बाहर से आरोपित किये जाते हैं, बहिर्गत नियम है।

→ ~~बहिर्गत नियम~~ बाह्य सत्ता की इच्छा या आज्ञा किसी अन्य सत्ता पर निर्भर नहीं है। यदि इनकी इच्छा को किसी अन्य सत्ता पर निर्भर मान लिया जाए तो फिर इनके आदेश का पालन आवश्यक नहीं माना जा सकता।

~~→ बाह्य सत्ता की इच्छा या आज्ञा उचित-अनुचित पर निर्भर नहीं, अपितु उचित-अनुचित ही उनकी आदेशों पर निर्भर~~ है।

→ इस प्रकार बाह्य नियमवाद के अनुसार बाह्य नियम ही मानव आचरण का मापदण्ड है। यदि इन नियमों से आचरण की संगति है तो वे नैतिक दृष्टि से उचित हैं और यदि असंगति ही तो अनुचित है।

→ इन नियमों के पालन करने के लिए हमें पुरस्कार और दण्ड द्वारा बाध्य किया जाता है। पुरस्कार का प्रलोभन और दण्ड के भय से ही इन नियमों का पालन करने के लिए हम बाध्य होते हैं। पुरस्कार का प्रलोभन और दण्ड का भय ही नैतिक अनुमोदन (Moral sanction) है।

→ बाह्य नियमवाद में नैतिक मापदण्ड के रूप में सामाजिक नियम, राजकीय नियम या ईश्वरीय नियम को स्वीकारा गया है।

Scanned with CamScanner

(i) राजकीय नियम (Political law) as the standard of morality

हॉब्स और बेन आदि विचारक राज्य के आदेश या राजनीतिक नियम को ही नैतिक नियम मानते हैं क्योंकि इन विचारकों के अनुसार मनुष्य के कर्तव्य या अकर्तव्य को राज्य ही निर्धारित करता है। अतः मनुष्य को क्या करना चाहिए और कौन कर्म उचित या अनुचित हैं - इनका इन्हीं नियमों से प्रकाश मिलता है।

यह विचार इस मत पर आश्रित है कि राज्य निरपेक्ष सत्ता है। राज्य किसी अन्य सत्ता पर निर्भर नहीं है। अतः राज्य आचरण-संबंधी नियम का भी निर्माण करता है और व्यक्ति की नैतिकता की कसौटी है। वह, जो राज्य द्वारा आदिष्ट है, उचित है और जो राज्य द्वारा निषिद्ध, अनुचित है।

(ii) सामाजिक नियम (Social Law) :- कुछ विद्वान सामाजिक नियम को ही नैतिकता का मापदण्ड मानते हैं। इनके अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है और उसी पर उसका अस्तित्व निर्भर है। अतः समाज का आदेश ही आचरण संबंधी आदर्श है।

इनके अनुसार नैतिकता एक सामाजिक संस्था है, जिसका संरक्षण समाज की शक्ति और दण्ड (बहिष्कार आदि दण्ड) द्वारा होता है। अतः वही कर्म, जो समाज से आदिष्ट है, नैतिक है।

(iii) ईश्वरीय नियम (Divine law) — ~~कुछ विद्वानों के अनुसार~~

लॉक, डेकार्ट आदि विद्वानों ने ईश्वरीय नियम को ही नैतिकता का चरम मापदण्ड बतलाया है। राज्य द्वारा या समाज द्वारा निर्मित नैतिकता का नियम पूर्ण नहीं हो सकता क्योंकि यह मानव द्वारा, जो अपूर्ण है, निर्मित है। ईश्वर की स्वतंत्र इच्छा ही नैतिकता की कसौटी है और नैतिक आदेश है। ईश्वरीय आदेश उचित-अनुचित पर निर्भर नहीं अपितु उचित-अनुचित ही ईश्वरीय आदेश पर निर्भर है। ये आदेश पैगम्बरों या अनुप्रेरित ऋषियों द्वारा व्यक्त होता है तथा जो धर्म-ग्रंथों में अंकित हैं। इन आदेशों का पालन स्वर्ग-सुख देता है तथा उल्लंघन नरक-दुःख।

Scanned with CamScanner